104/2021/I/92600/2021-71-2001/587/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत गोमतीनगर विस्तार के समीपस्थ स्थित राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (पूर्व नाम 200 शैयया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय) में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1667/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2021, दिनांक 12 अगस्त, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमतीनगर विस्तार में संस्थान के नवीन परिसर के समीपस्थ निर्मित 200 बेडेड महिला एवं बाल चिकित्सालय में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 1358.83 लाख की शासनादेश संख्या-88/2018/750/71-2-18-आर0एम0-28/2016, दिनांक 14-05-2018 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,43,53,200/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नवीन कैम्पस के निकट 200 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्यो हेतु रू0 135.883 लाख (रूपये एक करोड पैतीस लाख अठठासी हजार तीन सौ मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 107.343 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 28.540 लाख) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. संस्थान द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रापत होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।
3. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेक्स चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
5. संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्थान द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6. प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तद्नुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: शासन से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत माडुलर ओ0टी0, सेमी माडुलर ओ0टी0 तथा माडुलर आई0सी0यू0 /एस0एन0सी0यू0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निदेशक संस्थान द्वारा इस हेतु निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक संस्थान का होगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों का यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निर्माण कार्यो के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' से रू0 107.343 लाख तथा अनुदान संख्या-83 -समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जातियों के विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-28-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" से रू0 28.540 लाख के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8. अधिशाषी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।